न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी अमित कुमार वर्मा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 218/11 उनवान

1. अंशु आयु 6 साल ।
2. आर्यरन आयु 4 साल। पुत्रान राजवीर जाति जाट निवासी जहानपुर नावालिग वयलायत मोहनसिंह पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी अरौंदा तहसील नदवई नानाखुद

.....वादीगण सायलान

वनाम

1. अतरसिंह पुत्र सुगरसिंह जाति जाट निवासी जहानपुर तहसील वैर
2. सुगरसिंह पुत्र चरनसिंह (मृतक)

.....प्रतिवादीगण गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटी एक्ट

उपस्थित 1. श्री पूरणचंद धाकड एडवोकेट– सायलान

2. श्री दशरथ सिंह एडवोकेट– गैर सायलान

निर्णय दिनांक – 21.07.2020

वादी सायलान की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटी एक्ट इस न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण सायलान व प्रतिवादीगण गैरसायलन बाप बेटे हैं जो संयुक्त परिवार के व्यक्ति है तथा वादीगण सायलान संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। आराजी खसरा नं. 485 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 99 रकबा 1.00 बीघा , 229 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा में प्रतिवादी गैर सायलान संख्या 1 सम्पूर्ण भाग का तथा खसरा नं. 30 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, 46 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 53 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, 65 रकबा 14 बिस्वा, 187 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 266 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 325 रकबा 4 बिस्वा, 326 रकबा 17 बिस्वा, 328 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 330 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 331 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 332 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 334 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 335 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, 369 रकबा 3 बीघा, 370 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 371 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 372 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 483 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 47 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, किता 20 रकबा 49 बीघा 5 बिस्वा के प्रतिवादीगण गैर सायलान वहिस्सा बराबर के तथा खसरा नं. 400 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 401 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा से प्रतिवादीगण गैरसायलान वहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा तथा ख.नं. 90 रकबा 14 बिस्वा, 158 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, 159 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा,

160 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 162 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 164 रकबा 3 बीघा, 166 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 168 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 169 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 189 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 200 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 210 रकबा 13 बिस्वा, 83 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा, 288 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 285 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 290 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 171 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 174 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 297 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 204 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 214 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा में प्रतिवादीगण गैरसायलान 1/4 भाग में बहिस्सा बराबर काबिज काश्तकार एवं खातेदार है। यह आराजी वादीगण सायलान एवं प्रतिवादीगण गैर सायलान की पैतृक आराजी है जो प्रतिवादीगण गैर सायलान को उनके पूर्वजों से बाई बर्थ विरासतन प्राप्त हुई है जिस पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का हित निहित है। वादीगण सायलान का उपरोक्त आराजी के अपने पिता के साथ दर 1/5 में 2/3 भाग आता है जिसको वादीगण सायलान पैतृक संपति के आधार पर प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी गैरसायल संख्या 1 के लड़का राजवीर का विवाह दिनांक 07.05.2004 को मोहनसिंह पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी अरौदा तहसील नदबई को जो वादीगण का नाना है कि पुत्री अनीता के साथ हुई थी जिसके अंश से दो पुत्र वादीगण सायलान पैदा हुये हैं। प्रतिवादीगण गैरसायलान व उसके पुत्रों ने अनीता को जान से खत्म कर दिया जिसकी एफआईआर नं. 139/2011 थाना हलैना पर दर्ज हो चुकी है। तभी से वादीगण सायलान अपने नाना की परवरिश में रह रहे हैं और नाना ही वादीगण सायलान का पालन पोषण कर रहा है। वादीगण सायलान, प्रतिवादीगण गैर सायलान की औलाद है तथा प्रतिवादीगण गैर सायलान के यहॉ उनके परिवार में जन्म लिया है व खून का रिश्ता है। अतः वादीगण सायलान प्रतिवादीगण गैर सायलान की चल व अचल संपत्ति में दर 1/5 हिस्सा में 2/3 हिस्से को प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण गैर सायलान बहुत ही चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति हैं जो अपने नाम की खातेदारी की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति के लिये रहन व मुन्तकिल करना चाहते हैं जिसकी वावत् उन्होनें दिनांक 05.10.2011 को यह स्पष्ट रूप से धमकी दी है कि खातेदारी हमारे नाम है। हम किसी भी व्यक्ति को रहन व मुन्तकिल कर सकते हैं। राजवीर के अलावा अन्य तीन लड़को के नाम वादग्रस्त आराजी को करायेगे। गैरसायलान अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में सफल हो गये तो वादीगणी सायलान को सख्त हकतलफी एवं बर्वादी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। अतः वादीगण सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फर्माया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गैरसायलान के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 08.11.2011 जारी की जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया जिसकी पालना में गैरसायलान की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरा अपूर्ण हैं जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र राजेश, भूपेन्द्र, गोपाल के पुत्र व पुत्रियों को दर्शित नहीं किया गया है और न ही प्रतिवादी संख्या 1 के चारों पुत्रान व उसके पुत्र पुत्रियों को पक्षकार मुकदमा बनाया है। सुगर सिंह भी फोत हो चुका है, इसलिये उसके हद तक दावा भी अबेट किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी

प्रतिवादी गैर सायल संख्या 1 अतरसिंह की स्वःअर्जित एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिसके जीवनकाल में वादीगण सायलान को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वादीगण सायलान ने प्रतिवादी संख्या 1 के 4 पुत्रों व अन्य नाती व नातिनों को उक्त मुकदमा में पक्षकार नहीं बनाया है। वादीगण की ओर से यह दावा प्रोपर गार्जियन की तरफ से नहीं आया है, इसलिये काबिले खारिजी के है। वादीगण ने यह दावा व दर. गलत व असत्य तथ्यों से पेश किया है। अतः वादीगण सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। वादीगण सायलान की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी संवत 2060 लगायत 2063 , मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 09.05.2016, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 06.01.1998, वसीयत दिनांक 04.06.1991 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील सायलान का मुख्य तर्क है कि विवादित आराजी वादीगण सायलान की संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी है जो वादीगण सायलान को बाईबर्थ प्राप्त हुई है। वादीगण सायलान ने अपने तर्क में आरआरटी 2016–17 पेज 167, आरएलडब्लू 2014(1)आरजे पेज 649, आरएलडब्लू 2009(1)आरजे पेज 30 का उद्धरण पेश किया गया। वकील गैरसायलान द्वारा अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील गैर सायलान का मुख्य तर्क है कि विवादित आराजी गैरसायलान संख्या 1 अतरसिंह की स्वःअर्जित एवं कब्जेकाश्त की आराजी है जिसके जीवनकाल में वादीगण सायलान को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वादीगण सायलान ने प्रतिवादीगण गैरसायलान संख्या 1 के चारों पुत्रों व अन्य नाती व नातिनों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादीगण की ओर से यह दावा प्रोपर गार्जियन की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वकील पक्षकारान की बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2060 लगायत 2063 के अनुसार विवादित आराजी अतरसिंह पुत्र सुगर सिंह व सुगर सिंह पुत्र चरणसिंह एवं अन्य खातेदारान की हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली के अवलोकन से वादीगण सायलान द्वारा वादपत्र में तो सभी सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है लेकिन प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटी एक्ट में केवल गैरसायलान अतरसिंह व सुगरसिंह को ही पक्षकार बनाथा गया है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजी में गैरसायलान अतरसिंह व सुगरसिंह की खातेदारी काश्तकारी की भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जिससे किसी भी खातेदार काश्तकार को पूर्ण रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना न्यायोचित नहीं समझता हूं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन वादीगण सायलान के हक में पूर्णतः साबित नहीं होता है जिससे वादीगण सायलान का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रतिवादी गैरसायलान को ताफैसलावाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी के किसी भी भाग का विक्रय नहीं करेगा। यदि गैर सायल अपने हिस्से पर किसी भी बैंक से किसान केडिट कार्ड बनवाना चाहे तो उस पर किसी प्रकार

की रोक नहीं होगी। इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी गण गैरसायलान के विरूद्ध दि. 08.11.2011 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावा के साथ संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी वैर
भरतपुर